फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती मोनिका **विपक्षी : राज्य**

किस्म मुकदमा – 251''क'' रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 27/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 21.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प वीरधोलिया में पेश हुई। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त की गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2049/1946, 1946/1283, 2048/1946 में आने जाने के लिए विपक्षी की आराजी नम्बर 1284 में से होकर 30 फीट चौडा रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थीगण के खेत में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होना बताया हैं। प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह न्यूनतम दूरी का होकर प्रार्थीगण के खेत तक जाता हैं। उक्त रास्ता 0.0972 हेक्टेयर होकर डीएलसी दर 1,33,691/– प्रति बीघा के हिसाब से रास्ते की राशि 80,265/– रूपये होना बताया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं होना बताया हैं। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है। वह वर्तमान में बिलानाम काबिल काश्त दर्ज हैं।

हमने पत्रावली व जमाबन्दी का अवलोकन किया। जमाबन्दी के अवलोकन से आराजी नम्बर 2049/1946 किस्म आवासीय होकर मांगीलाल पुत्र रामलाल एवं आराजी नम्बर 1946/1283 एवं 2048/1946 किस्म आवासीय होकर मोनिका पत्नी मांगीलाल के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। चूंकि वादग्रस्त भूमि की किस्म राजस्व रेकार्ड में आवासीय दर्ज हैं। धारा 251''क'' में केवल मात्र कृषि भूमि में काश्तकार को आने जाने हेतु रास्ता नहीं होने पर नया रास्ता देने का प्रावधान वर्णित किया गया हैं। आवासीय भूमि में आने जाने के लिए नये रास्ते का प्रावधान धारा 251 ''क'' में वर्णित नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251 ''क'' के तहत् पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.20 11:51:11 IST
Reason: SelfAttested